उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-34 / 2020 / एस-2-1057 / दस-2020-88क(1) / 2018टी0सी0-।।

लखनऊ: दिनांक - 23 जून, 2020

<u>शुद्धि-पत्र</u>

शासन के कार्यालय आदेश संख्या-33 / 2020 / एस-2-1043 / दस-2020-88क(1) / 2018टी0सी0-।। दिनांक 20-6-2020 के द्वारा उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समूह-ख के नव प्रशिक्षित कोषाधिकारी / लेखाधिकारियों की तैनाती की गयी है। उक्त कार्यालय आदेश के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-28 पर त्रुटिवश "सुश्री स्नेहिल सिंह चौधरी" के स्थान पर "श्री स्नेहित सिंह चौधरी" अंकित हो गया है।

2- अतः कार्यालय आदेश संख्या-33 / 2020 / एस-2-1043 / दस-2020-88क(1) / 2018 टी0सी0-।। दिनांक 20-6-2020 के प्रस्तर-1 की तालिका के क्रमांक-28 पर अंकित "श्री स्नेहित सिंह चौधरी" के स्थान पर "सुश्री स्नेहिल सिंह चौधरी" पढ़ा जायेगा।

उक्त कार्यालय आदेश दिनांक 20-6-2020 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

प्रकाश बिन्दु
विशेष सचिव।

<u>संख्या-34 / 2020 / एस-2-1057(1) / दस-2020, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उ0प्र0 शासन ।
2- मुख्य चिकित्साधिकारी अमेठी, उ0प्र0।
3- जिलाधिकारी अमेठी, उ0प्र0।
4- निदेशक कोषागार उ0प्र0 लखनऊ।
5- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय, शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, अमेठी।
7- संबंधित अधिकारी द्वारा निदेशक, कोषागार।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विद्या कुमार)
अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।